

प्रेषक विमल प्रकाश आर्य
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) झाँसी ।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

सेवा में श्रीमान जनपद न्यायाधीश ।
झाँसी ।

विषय:- दिनांक 05. 05. 2022 को प्रेषित अवमानना प्रार्थनापत्र तीन (03) प्रतियों की पावती प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रदान न किये जाने के संबंध में ।

महोदया

सादर अवगत कराना है कि मेरे द्वारा दिनांक 05. 05. 2022 को अवमानना की कार्यवाही किये जाने के बावत अवमानना प्रार्थनापत्र तीन (03) प्रतियों में प्रेषित किया गया, जिसकी कोई पावती प्रशासनिक अधिकारी द्वारा नहीं दी गयी । इस संबंध में मेरे द्वारा एक पत्र आज दिनांक 06. 05. 2022 को प्रेषित किया गया, जिसे प्रशासनिक अधिकारी ने लेने से इंकार कर दिया ।

अतः आपसे निवेदन है कि इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारी जानकी प्रसाद के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने की कृपा करें तथा मेरे द्वारा प्रेषित अवमानना प्रार्थनापत्र को मा० उच्च न्यायालय अग्रसारित किये जाने की कृपा करें तथा अग्रसारण किये जाने की सूचना मुझ न्यायिक अधिकारी को प्रदान करने की कृपा करें ।

सूचना सादर प्रेषित ।

भवदीय


(विमल प्रकाश आर्य)

दिनांक- 06. 05. 2022

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झाँसी ।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

संलग्नक:

1. दिनांक 06. 05. 2022 को प्रेषित पत्र की मूल प्रति (01) ।

प्रेषक

विमल प्रकाश आर्य

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) झाँसी ।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

सेवा में

श्रीमान जनपद न्यायाधीश ।
झाँसी ।

विषय:-

दिनांक 05.05.2022 को प्रेषित अवमानना प्रार्थनापत्र तीन (03) प्रतियों की पावती प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रदान न किये जाने के संबंध में ।


महोदया

सादर अवगत कराना है कि दिनांक 22.02.2022 से दिनांक 24.02.2022 तक सन्तोष कुमार दोहरे, रमेश यादव व चन्द्र शेखर शुक्ला द्वारा न्यायालय पर दबाव बनाने के लिये न्यायालय परिसर में धरना-प्रदर्शन, शोर शराबा व नारेबाजी की गयी । इस संबंध में मा० उच्च न्यायालय में कार्यवाही किये जाने हेतु मेरे द्वारा 250 अर्द्ध कागज प्रदान करने हेतु श्रीमान जी को पत्र प्रेषित किया गया, जिसके अनुक्रम में मेरे द्वारा दिनांक 05.05.2022 को प्रत्यावेदन डाकबही में चढ़वाकर प्रशासनिक कार्यालय भिजवाया गया, किन्तु प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कोई पावती नहीं दी गयी, बल्कि डाकबही को भी अपने कार्यालय में रख लिया ।

मेरे द्वारा प्रेषित पत्रों की पावती प्रशासनिक अधिकारी जानकी प्रसाद द्वारा न देने के संबंध में मेरे द्वारा श्रीमान जी को पूर्व में अवगत कराया जा चुका है, किन्तु उसके पश्चात भी उक्त प्रशासनिक अधिकारी मेरे द्वारा प्रेषित पत्रों की पावती नहीं देते हैं ।

सूचना सादर प्रेषित ।

भवदीय



(विमल प्रकाश आर्य)

दिनांक- 06.05.2022

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झाँसी ।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

प्रेषक विमल प्रकाश आर्य
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) झाँसी ।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

सेवा में श्रीमान जनपद न्यायाधीश ।
झाँसी ।

विषय:- दिनांक 05. 05. 2022 को प्रेषित अवमानना प्रार्थनापत्र मा० उच्च न्यायालय अग्रसारित किये जाने के संबंध में ।

महोदया

सादर अवगत कराना है कि मेरे द्वारा दिनांक 05. 05. 2022 को अवमानना की कार्यवाही किये जाने के बावत अवमानना प्रार्थनापत्र तीन (03) प्रतियों में प्रेषित किया गया । उक्त अवमानना प्रार्थनापत्र अभी तक मा० उच्च न्यायालय अग्रसारित नहीं हुआ है और न ही अग्रसारित पत्रांक की प्रति मुझे प्राप्त हुई है ।

अतः आपसे पुनः निवेदन है कि अवमानना प्रार्थनापत्र मा० उच्च न्यायालय अग्रसारित करने की कृपा करें तथा अग्रसारित पत्रांक की प्रति मुझे प्रदान करने की कृपा करें तथा मेरे द्वारा प्रेषित अवमानना प्रार्थनापत्र दिनांकित 05. 05. 2022 की पावती न देने व दिनांक 06. 05. 2022 को प्रेषित प्रार्थनापत्र को प्राप्त करने से इंकार करने पर प्रशासनिक अधिकारी जानकी प्रसाद के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने की कृपा करें ।

भवदीय


09.05.2022

दिनांक- 09. 05. 2022

(विमल प्रकाश आर्य)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झाँसी ।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

प्रेषक विमल प्रकाश आर्य
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झाँसी ।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

सेवा में श्रीमान जनपद न्यायाधीश ।
झाँसी ।

विषय:- दिनांक 05. 05. 2022 को प्रेषित अवमानना प्रार्थनापत्र मा० उच्च न्यायालय
अग्रसारित किये जाने के संबंध में ।

सन्दर्भ 1. मेरे द्वारा प्रेषित पत्र दिनांकित 06. 05. 2022 व
2. मेरे द्वारा प्रेषित पत्र दिनांकित 09. 05. 2022.

महोदया

सादर अवगत कराना है कि मेरे द्वारा दिनांक 05. 05. 2022 को अवमानना की कार्यवाही किये जाने के बावत अवमानना प्रार्थनापत्र तीन (03) प्रतियों में प्रेषित किया गया । उक्त अवमानना प्रार्थनापत्र अभी तक मा० उच्च न्यायालय अग्रसारित नहीं हुआ है और न ही अग्रसारित पत्रांक की प्रति मुझे प्राप्त हुई है । इस बावत मेरे द्वारा दिनांक 06. 05. 2022 व दिनांक 09. 05. 2022 को पत्र भी प्रेषित किया गया और महोदया से निवेदन किया गया कि उक्त अवमानना प्रार्थनापत्र मा० उच्च न्यायालय को अग्रसारित करने की कृपा करें व अग्रसारित पत्रांक की एक प्रति मुझ अधोहस्ताक्षरी को प्रदान करने की कृपा करें, किन्तु अत्यन्त खेद का विषय है कि मुझ न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रेषित अवमानना प्रार्थनापत्र अभी तक मा० उच्च न्यायालय अग्रसारित नहीं हुआ है और न ही अग्रसारित पत्रांक की प्रति मुझे प्राप्त हुयी है ।

अतः महोदया से पुनः निवेदन है कि अवमानना प्रार्थनापत्र मा० उच्च न्यायालय अग्रसारित करने की कृपा करें तथा अग्रसारित पत्रांक की प्रति मुझे प्रदान करने की कृपा करें ।

भवदीय


11/05/2022

(विमल प्रकाश आर्य)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झाँसी ।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

दिनांक- 11. 05. 2022

प्रेषक विमल प्रकाश आर्य
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) झाँसी ।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

सेवा में श्रीमान जनपद न्यायाधीश ।
झाँसी ।

विषय:- मेरे द्वारा प्रेषित अवमानना प्रार्थनापत्र दिनांकित 05. 05. 2022 पर जानकी प्रसाद मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की आख्या दिनांकित 06. 05. 2022 के संबंध में ।

महोदया

सादर अवगत कराना है कि मेरे द्वारा दिनांक 05. 05. 2022 को अवमानना की कार्यवाही किये जाने के बावत अवमानना प्रार्थनापत्र तीन (03) प्रतियों में मय संलग्नक प्रेषित किया गया था, जिसे अग्रसारित न किये जाने पर मेरे द्वारा दिनांक 09. 05. 2022 को श्रीमान जी को पत्र प्रेषित किया गया, किन्तु उक्त अवमानना प्रार्थनापत्र दिनांक 09. 05. 2022 को भी अग्रसारित नहीं हुआ, तत्पश्चात मेरे द्वारा दिनांक 11. 05. 2022 को पुनः श्रीमान जी को एक पत्र प्रेषित किया गया और निवेदन किया गया कि मेरे द्वारा प्रेषित अवमानना प्रार्थनापत्र को मा० उच्च न्यायालय को अग्रसारित कर अग्रसारित पत्रांक की प्रति मुझे अधोहस्ताक्षरी को प्रदान करने की कृपा करें, किन्तु दिनांक 11. 05. 2022 तक अग्रसारित पत्रांक की प्रति मुझे प्राप्त नहीं करायी गयी । दिनांक 12. 05. 2022 को समय 13:30 बजे मेरे द्वारा प्रेषित अवमानना प्रार्थनापत्र पर पत्रांक 1262/ XV दिनांकित 09. 05. 2022 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की आख्या दिनांकित 06. 05. 2022 के साथ प्राप्त हुआ । इस संबंध में अवगत कराना है कि श्री जानकी प्रसाद मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की आख्या गलत व त्रुटिपूर्ण है, जो उन्होंने दबाववश अंकित किये हैं, जो निम्न आधारों पर गलत व त्रुटिपूर्ण हैं:-

1. यह कि प्रशासनिक अधिकारी का यह कहना कि पत्र के साथ कोई संलग्नक नहीं है पूर्णतया असत्य, निराधार व बनावटी है, क्योंकि मेरे द्वारा दिनांक 05. 05. 2022 को अवमानना प्रार्थनापत्र 03 प्रतियों में मय संलग्नक प्रेषित किया गया था, जिसे श्री जानकी प्रसाद मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने दिनांक 05. 05. 2022 को प्राप्त नहीं किया, यदि कोई संलग्नक संलग्न नहीं था तो श्री जानकी प्रसाद मुख्य प्रशासनिक अधिकारी इस बावत अपनी आख्या अंकित कर वापस कर देते अथवा

मौखिक रूप से स्वयं भी अवगत करा सकते थे, किन्तु उन्होंने अवमानना प्रार्थनापत्र मय संलग्नक न तो वापस किया और न ही कोई पावती दी।

2. यह कि श्री जानकी प्रसाद मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का यह पदीय दायित्व है कि वह किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र आदि को प्राप्त करें और उचित आदेश हेतु श्रीमान जनपद न्यायाधीश / संबंधित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें, किन्तु उन्होंने दिनांक 05. 05. 2022 को प्रेषित अवमानना प्रार्थनापत्र को प्राप्त नहीं किया।

3. यह कि श्री जानकी प्रसाद मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने मेरे द्वारा पूर्व में प्रेषित कई पत्रों को भी प्राप्त नहीं किया। इस संबंध में मेरे द्वारा श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को अपने पूर्व पत्रों में अवगत कराया जा चुका है और इस प्रकार जानकी प्रसाद की यह आख्या कि " उनकी झूठी शिकायत की गयी है। " चूँकि श्री जानकी प्रसाद मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की प्रवृत्ति मेरे द्वारा प्रेषित पत्रों को प्राप्त करने की नहीं रही है। उक्त अवमानना प्रार्थनापत्र की पावती न देने और दिनांक 06. 05. 2022 को प्रेषित पत्र प्रशासनिक अधिकारी द्वारा न लेने पर मेरे द्वारा एक बन्द लिफाफा इसी तिथि पर श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को प्रेषित किया गया और प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जिस पत्र को प्राप्त नहीं किया गया, उसकी मूल प्रति बन्द लिफाफे में प्रेषित पत्र के साथ संलग्न की गयी थी तथा प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु श्रीमान जनपद न्यायाधीश से निवेदन किया गया था।

4. यह कि दिनांक 05. 05. 2022 को श्री जानकी प्रसाद मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने अवमानना प्रार्थनापत्र को प्राप्त नहीं किया। इस संबंध में मेरे द्वारा संबंधित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से डाकबही पर उक्त पत्र का उल्लेख करने का मौखिक निर्देश दिया गया, जिस पर संबंधित कर्मचारी ने यह आख्या प्रस्तुत की कि " श्रीमान जी प्रशासनिक कार्यालय में डाक प्राप्त नहीं किया " और स्वयं मेरे द्वारा दिनांक 05. 05. 2022 को प्रेषित पत्रों की पावती न देने के बावत दिनांक 06. 05. 2022 को डाकबही में पृष्ठांकन किया गया।

5. दिनांक 06. 05. 2022 को डाकबही के क्रम सं०- 1 पर एक पत्र पुनः प्रेषित किया गया, जिसका विषय दिनांक 05. 05. 2022 को प्रेषित अवमानना प्रार्थनापत्र 03 प्रतियों की पावती प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रदान न किये जाने के संबंध में था, जिसे प्रशासनिक अधिकारी ने प्राप्त नहीं किया,

तत्पश्चात मेरे द्वारा क्रम सं०- 2 पर एक बंद लिफाफा मय पत्र श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को प्रेषित किया गया और प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्राप्त न किये गये पत्र को भी इस पत्र के साथ संलग्न कर बंद लिफाफा में प्रेषित किया गया ।

तत्पश्चात श्री जानकी प्रसाद मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने इस पत्र को दिनांक 06. 05. 2022 को प्राप्त किया और जिसमें " बंद लिफाफा प्राप्त " का उल्लेख किया तथा इसी तिथि पर प्रशासनिक अधिकारी ने दिनांक 05. 05. 2022 को प्रेषित अवमानना प्रार्थनापत्र प्राप्त किया । इससे ज्ञात होता है कि श्री जानकी प्रसाद मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने दिनांक 05. 05. 2022 को प्रेषित अवमानना प्रार्थनापत्र को जानबूझकर प्राप्त नहीं किया था ।

6. दिनांक 09. 05. 2022 को अवमानना प्रार्थनापत्र मा० उच्च न्यायालय अग्रसारित न होने पर मेरे द्वारा दिनांक 09. 05. 2022 को श्रीमान जनपद न्यायाधीश को पत्र प्रेषित किया गया और पुनः अवमानना प्रार्थनापत्र को मा० उच्च न्यायालय अग्रसारित किये जाने का निवेदन किया ।

7. दिनांक 11. 05. 2022 को श्रीमान जनपद न्यायाधीश को पत्र प्रेषित किया गया और पुनः अवमानना प्रार्थनापत्र को मा० उच्च न्यायालय अग्रसारित किये जाने का निवेदन किया , लेकिन इस तिथि तक मा० उच्च न्यायालय को अग्रसारित पत्रांक की प्रति अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त नहीं करायी गयी ।

8. दिनांक 12. 05. 2022 को समय लगभग 13:30 बजे उक्त अग्रसारित पत्रांक की प्रति मेरे न्यायालय में प्राप्त करायी गयी, जो मुझ अधोहस्ताक्षरी को आज दिनांक 13. 05. 2022 को प्रातः काल में प्राप्त हुयी ।

9. जहाँ तक श्री जानकी प्रसाद मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का यह कहना है कि उन पर दबाव दिये जाने के कारण उनके द्वारा बिना संलग्नक के पत्र प्राप्त किया गया पूर्णतया असत्य व निराधार है । वास्तविकता यह है कि श्री जानकी प्रसाद को समस्त संलग्नकों की प्रति प्रदान की गयी थी , यदि संलग्नक, अवमानना प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न नहीं थे तो उक्त कर्मचारी इस तथ्य को दिनांक 05. 05. 2022 को भी अवगत करा सकते थे , लेकिन उक्त कर्मचारी ने ऐसा कोई तथ्य अधोहस्ताक्षरी या उसके किसी कर्मचारी के संज्ञान में नहीं रखा । इससे स्पष्ट है कि उक्त कर्मचारी अपने दायित्वों से जानबूझकर बचना चाहता है ।

10. यह भी अवगत कराना है कि मेरे द्वारा दिनांक 30.06.2021 व दिनांक 30.07.2021 को किये गये आकस्मिक निरीक्षणों, जिन्हें श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा अवलोकित किया गया है, उन्हें प्रशासनिक अधिकारी द्वारा मेरे न्यायालय में दिनांक 06.04.2022 को प्राप्त कराया गया।

11. यह भी अवगत कराना है कि मेरे द्वारा माह दिसम्बर 2021 में किये गये त्रैमासिक निरीक्षण को श्रीमान जनपद न्यायाधीश से अवलोकित कराने के उपरान्त इस न्यायालय में अभी तक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा वापस प्रदान नहीं किया गया है।

सूचना सादर ससम्मान प्रेषित।

भवदीय


13.05.2022

(विमल प्रकाश आर्य)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झाँसी।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

दिनांक- 13.05.2022

(1)

सेवा में,

श्री नीरज तिवारी जी,
माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति
उच्च न्यायालय इलाहाबाद 30940
(अधिवक्तागण)

R.G.
Call comments/reports
from D.J. Ghansi fortnightly
and produce before me
Sharma
12-11-2021

विषय :- अपर सत्र न्यायाधीश एफ0टी0सी0 द्वितीय श्री विमल आर्या के विरुद्ध जांच कराने एवं अविलम्ब उनके न्यायालय से दाण्डिक वाद अन्तरित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विनम्र प्रार्थना है कि जनपद झॉंसी में जब से श्री विमल आर्या जी ने कार्यभार ग्रहण किया है उनका अधिवक्ताओं के प्रति दुर्व्यवहार दिन प्रति दिन बढ़ता चला जा रहा है अधिवक्ताओं एवं वादकारियों को सांयः काल 06:00 बजे से 06:30 बजे तक अनावश्यक रूप से खड़ा रखते हैं हत्या के मामले में जिस कर्मचारी द्वारा केवल पोस्टमार्टम के लिये शव को ले जाया जाता है उसको भी साक्ष्य के लिये न्यायालय में बुलाया जाता है और अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है जबकि न्यायिक प्रक्रिया में ऐसा नहीं होता है अधिवक्ताओं एवं मुकदमों के वादियों को नोटिस दिया जाता है न्यायालय अवमानना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने की धमकी दी जाती है इनके झॉंसी में चर्चित महिलाओं एवं अन्य समाज विरोधी व्यक्तियों से सम्बन्ध है यह अपने पारिवारिक वाद के कारण स्वस्थ मस्तिष्क से न्यायिक कार्यों का निर्वाहन नहीं करते हैं पूर्व के पद स्थापना के स्थान पर इनकी कई शिकायतें हुयी है और ये कई विवादों से घिरे रहे श्री विमल आर्या के विरुद्ध पूर्व में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एवं अन्य अधिवक्ताओं द्वारा माननीय पूर्व प्रशासनिक न्यायमूर्ति से शिकायत की गई थी कोई कार्यवाही न होने के फलस्वरूप इनका मनोबल अत्यधिक बड़ा हुआ है श्री विमल आर्या भ्रष्टाचार में आकण्ठ लिप्त रहते हैं एवं जनपद में इनके कई दलाल सक्रिय हैं मन माफिक पैसा न मिलने पर पक्षद्रोही साक्ष्य में भी कई प्रकरणों से सजायाव किया गया है अधिवक्ताओं से दुर्व्यवहार व अवमाननीय व्यवहार एवं अससंगीय भाषा का प्रयोग करने पर कियी समय अधिवक्ताओं और श्री विमल आर्या के मध्य गम्भीर विवाद की स्थिति बन सकती है।

अतः माननीय महोदय से प्रार्थना है कि न्यायहित को द्रष्टिगत रखते हुये और अधिवक्ताओं एवं श्री विमल आर्या के मध्य कोई विवाद न हो अविलम्ब उनके न्यायालय से दाण्डिक मामले को अन्य न्यायालय में अन्तरिक करने और इन्हे इस जनपद से वाहर स्थानान्तरण करने के उपरान्त उनके विरुद्ध जांच कराने की कृपा करें उनके झॉंसी में पदस्त रहते हुये वह जांच को प्रभावित करेंगे और अधिवक्ताओं का उत्पीड़न बड़ा देगा।
दिनांक-26.10.2021

(13)
भवदीय
12-11-2021

Reg(JXCE)

प्रतिलिपि :- माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश झॉंसी
को. अविलम्ब कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित

RG पं० अजितेन्द्र तिवारी
12/11/21
09354 014
Bor C
Mob.

खेमराजा वर्मा
अधिवक्ता
पंजियन सं०-6706/95
अधिवक्ता कोड-423
फो० नं०-9236086982

जिला अधिवक्ता संघ झॉंसी उ0प्र0

पं० चन्द्रशेखर शुक्ल
अधिवक्ता

ज० न० कोर्ट कम्पाउण्ड, झॉंसी (उ०प्र०)
कोड नं०-1289
पंजियन संख्या-5739/89
फो० नं०-9415502219

8/30

1

वीरेंद्र विक्रम सिंह
जिला न्यायाधीश,
झांसी।

सेवा में,
महानियन्त्रक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्र संख्या: 442/ST

दिनांक 23.2.2010

विषय: आज दिनांक-23.2.2010 को प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 1.30 बजे के मध्य अधिवक्ताओं के गुट द्वारा न्यायालय परिसर के अन्दर, न्यायालयों व न्यायालय कक्षों में तोड़फोड़ कर न्यायालय की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने, न्यायिक कार्यवाही बाधित करने व न्यायालय की अवमानना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में साक्षर अनुरोध करने हेतु कि आज दिनांक-23.2.2010 को प्रातः लगभग 11.00 बजे लगभग 100 अधिवक्ताओं का एक गुट श्री चन्द्र शंकर शर्मा एडवो, श्री सुरेश शर्मा एडवो, श्री पुष्पेन्द्र रिशारिया एडवो, श्री नृपेन्द्र निराम एडवो, श्री प्रमोद कुमार मिश्रा एडवो, श्री देवीशंकर एडवो एवं श्री प्रमोद कुमार शिवहरे एडवो आदि के नेतृत्व में नारेबाजी व अगद शब्दों का प्रयोग करते हुए मेरे न्यायालय कक्ष में आया तथा मेरे न्यायालय में तेजात कोर्ट मुहरिर का-सो श्री सतशम सिंह चौहान को खींच कर बरामदे में ले जा कर मारा पीटा। तदपश्चात् अधिवक्ताओं के उक्त गुट ने मेरे न्यायालय कक्ष एवं परिषद् प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय के फर्नीचर, टाईपराईटर मशीन, फेक्स मशीन, दरवाजे, दलीफोन एवं सिडकियों व मेजों में लगे कोंघों को तोड़ फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। तदपश्चात् उक्त गुट न्यायालय भवन का चक्कर लगाते हुए हंगामा करते हुए विशेष न्यायाधीश (दिस्यु प्रभावित क्षेत्र), विशेष न्यायाधीश गैरेस्टर एक्ट एवं अपर जिला जज कक्ष सं 2 के न्यायालयों में घुसा कर तोड़फोड़ किया तथा वादकारियों को डरा घमका कर भगा दिया।

उपरोक्त के पश्चात् अधिवक्ताओं के उक्त गुट ने न्यायालय भवन के भूतल पर स्थित मुख्य द्वार में लगे मेटलडिडेक्टर को तोड़फोड़ कर फेंक दिया तथा भूतल पर स्थित विशेष न्यायाधीश आवश्यक वस्तु अधिनियम के न्यायालय कक्ष में जा कर वादकारियों को डरा-घमका कर भगा दिया जिससे इस न्यायालय तथा इससे लगे हुए अपर जिला जज कक्ष सं 5 के न्यायालय में उपस्थित वादकारीगण अधिवक्तागण के उक्त हंगामे से डर कर भाग गये।

उपरोक्त तोड़फोड़ के बाद अधिवक्तागण का उक्त गुट न्यायालय परिसर में स्थित नवीन भवन में जा कर भूतल व प्रथम तल पर स्थित कुछ न्यायालयों में तोड़फोड़ किया और उसके पश्चात् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व पारिवारिक न्यायालय के परिसर में जा कर अगद शब्दों का प्रयोग करते हुए नारेबाजी करते हुए हंगामा किया तथा पारिवारिक न्यायालय कक्ष में तोड़फोड़ किया।

अधिवक्ताओं के उक्त आभयार्थित एवं आपराधिक कृत्य के कारण पूरे न्यायालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई और न्यायालय कक्षों में उपस्थित न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं उपस्थित वादकारीगण गमका-त हो गये और लगभग सभी वादकारी न्यायालय परिसर से भाग गये, जिसके कारण पूरे दिन किसी भी न्यायालय में कोई भी कार्य नहीं हो सका। तोड़फोड़ की कार्यवाही के समय अधिवक्ताओं का उक्त गुट न्यायपालिका व मेरे निरुद्ध अगद नारे बाजी कर रहा था।

अधिवक्ताओं के उपरोक्त कृत्य को देखते हुए मेरे द्वारा इसकी सूचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व जिलाप्रशासन को दी गई, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व जिला मजिस्ट्रेट पुलिसबल के साथ न्यायालय परिसर में आये उसके बाद भी अधिवक्ताओं के उक्त गुट ने नारेबाजी करते हुए उपर्युक्त किया।

IR(J)

दिनांक
4/2/10
www.ww
महोदय
24/2/10
32

10

उपरोक्त अधिवक्तागण के न्यायालय परिवार से जाने के परवात मेने न्यायालय कक्षों व कार्यालयों का निरीक्षण किया।

निम्न न्यायालयों व कार्यालयों से अधिवक्तागण की उक्त अगदता, तौडफोड व अनर्वाहित आचरण के सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट एवं मेरी निरीक्षण आख्या को इस पत्र के साथ संलग्न कर अवलोकनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि अधिवक्ताओं के इसी मुट द्वारा पूर्व में भी न्यायालय परिवार में अगद गवहदार, नारेवाजी आदि की कार्यवाही की गई थी, जिसकी सूचना मेरे पूर्वधिकारी द्वारा इस कार्यालय के पत्र सं०-66/एस०ए०ओ/2009 दिनांकित-8.5.2009 के माध्यम से मान० उच्च न्यायालय को प्रेषित की गई थी।

घटना की लिखित सूचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी को अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा चुकी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि दोषी अधिवक्तागण को न्यायालय समय में न्यायालय कक्षों व कार्यालयों में घुस कर तौडफोड व अगर्वाहित आचरण करने एवं आपराधिक कृप कर न्यायिक कार्य पूर्णतः बाधित करने तथा न्यायालय की अवमानना करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर दृष्टित करने हेतु उक्त तथ्य को मान० उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाने का कष्ट करें।

सादर।

दिनांक-23.2.2010

गवदीय,

(नीरे-ध विक्रम सिंह)
जिला न्यायाधीश
झांसी।

संलग्नक-यथा उपरोक्त।

प्रतिलिपि: निजी सचिव, मान० प्रशासनिक न्यायभूति (जनपद झांसी) मान० उच्च न्यायालय इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस पत्र को मान० प्रशासनिक न्यायभूति जी के समक्ष सादर अवलोकनार्थ व अग्रतर निर्देशार्थ रखने का कष्ट करें।

जिला न्यायाधीश,
झांसी।

8/22

518

प्रकाश,

श्रीमती श्रीमती सिद्ध,
न्यायालय, मजिस्ट्रेट,
कक्षा नं०-१ असा।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायालय,
असा।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि आज प्रातः 11.30 बजे जब मैं न्यायालय कक्षा में न्यायालय कार्य सम्पादित कर रही थी, तब अधिवक्ता गण सुन्दरशेखर गुजरा, सुरेश सेनो, कृष्ण-द्र निगम अपने साथ अन्य अज्ञात 40-50 अधिवक्तागण को लेकर न्यायालय कक्षा में घुस आये और जोर-जोर से चिल्ला कर प्रायः का माहौल पैदा किया तथा बाद कारियों को भागा दिया इस प्रकार न्यायालय कार्य सम्पादित नहीं किया जा सका।

रिपोर्ट माननीय महोदय के लक्ष्य सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रार्थना।

दिनांक- 23-2-2010

(Signature)
23.2.10
श्रीमती श्रीमती सिद्ध
न्यायालय मजिस्ट्रेट, कक्षा नं०-१
असा।

पेडाक,

दिलीप कुमार तयान,
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्षा नं०-10 झांसी ।

सेवा में,

मा० जन्मद न्यायाधीश,
झांसी ।

महोदय,

सविषय निवेदन है कि आज दिनांक 23-2-10 को
में न्यायालय कक्षा में न्यायिक कार्य सम्पन्न कर रहा था, तभी
समय करीब 11.40 बजे अधिवक्ता यन्मोहार गुप्ता, पुणेद
शिवाहरे, सुखेन्द्र शिहारिया एवं अन्य 30-40 अधिवक्तागण एक
साथ आये और नारे बाजी करते हुये न्यायालय में उपस्थित वाद-
कारियों को डरा डमका कर प्रस्थित कर भाग दिया और
पेशाकार से फाईल छीन्ने का प्रयास किया । उक्त लोगों ने न्यायालय
कक्षा के राईटिंग डेस्क का कार्य तोड़ दिया एवं कुर्तिया भी तोड़ दी ।
इससे न्यायिक कार्य में व्यवधान हुआ और न्यायिक कार्य सम्पन्न
नहीं किया जा सका ।

आठवां माननीय महोदय को सूचना एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

सादर ।

दिनांक 23-2-2010

भवदीय

D. S. Jaiswal

दिलीप कुमार तयान ।
न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्षा नं०-10
झांसी ।

प्रेषक,

राकेश त्रिपाठी,
अपर सिविल जज, सी. डि. ५,
ब्लॉक सं०८, झांसी।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
जनपद-झांसी।

विषय:- न्यायिक कार्य सम्पादन में व्यवधान डालने के संबंध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक स-सम्मानपूर्वक निवेदन करना है कि

आज दिनांक 23.02.2010 को समय 11.30 बजे सुबह जब
में न्यायालय में न्यायिक कार्य का सम्पादन कर रहा था एवं
पत्रावलिओं में पक्षकारों के भावत आवाज लगायी जा रही
थी तभी श्री वृन्देश्वर गुक्ला एड०, श्री देवी सिंह, एड० एवं
श्री सुरेश सैनी व श्री प्रमोद शिवहरे, एड० 15-20 अन्य अधिवक्ता
गण के साथ न्यायालय में जोर-जोर से आवाज लगाते हुए घुस
आये। न्याय में उपस्थित जादकारियों को जबरदस्ती न्याय से
बाहर निकाल दिया एवं अशुभ शब्दों का उपयोग करते हुए
भय का माहौल पैदा करके न्यायिक कार्य में व्यवधान डाला।

अतः पत्र माननीय महोदय को वास्तव में सुवनार्थ एवं

उचित आदेशार्थ सावर प्रेषित है।

"स-सम्मान"

भवदीय
Rakesh
23/2/10

राकेश त्रिपाठी
अपर सिविल जज, सी. डि. ५
ब्लॉक सं०८, झांसी।

दिनांक 23. 2. 2010

प्रेम,

श्रीमती ललिती सिंह,
अपर सिलियन जज, 20100, 20000,
न्यायालय नं० संख्या-12, अगिरी।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश, महेन्द्र
सिरी।

महोदय,

सादर निवेदन करना है कि आज दिनांक-23-02-2010

को मैं जब न्यायालय तक में लगभग 11-45 बजे न्यायिक कार्य

सम्पादित कर रही थी, तभी अचानक श्री व-प्रोसेक्यूटर्स सुभाष कुमार

रिजॉरिया एवं 20-25 अन्य अधिकारियों न्यायालय तक में रुके

आये तथा वादकारियों को भना दिया, कि न्यायिक कार्य

सम्पादित नहीं किया जा सके।

अतः श्रीमानुजी की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर

व्यक्ति है।

"सादर"

दिनांक-23-02-2010

सुभाष कुमार

श्रीमती ललिती सिंह,
अपर सिलियन जज, 20100, 20000,
नं० संख्या-12, अगिरी।

प्रेम्क,

निरुपमा विक्रम
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्षा संख्या-7, झांसी।

सेवा में,

माननीय जिला न्यायाधीश,
झांसी।

महोदय,

ससम्मान निवेदन पूर्वक अवगत कराना है कि अज्ञान दिनांक-
23.2.2010 को समय करीब 11:35 बजे अधिवक्ता चन्द्र देवर शुक्ता,
प्रमोद शिवहरे, पुष्पेन्द्र रिठारिया तथा 7-9 अन्य अधिवक्तामण
न्यायालय में प्राये तथा न्यायालय कक्षा में उपस्थित वादकारियों को
हरा- धमका कर आतंकित किया तथा अभ्यभीत कर न्यायालय कक्षा से भाग
दिया। न्यायालय के रीडर का टाईप राईटर फेंक कर तोड़ दिया, कुर्सियां
हाथस पर फेंक दी, जिससे डायस पर रंभा गीला टूट गया। कुर्सियां तोड़
दी तथा कुछ पत्रावलियां फेंक दी, जिससे न्यायिक कार्य में बाधापहुंची
तथा न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंची है।

हेतु
आख्या माननीय महोदय की सेवा में सादर उचित कार्र-
वाही/प्रेषित है।

दिनांक 23.2.2010

भवदीया,
Nirupama Vikram
23/2/10
निरुपमा विक्रम
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्षा संख्या-7, झांसी।

ऐ धक,

कृष्ण कुमार सिंह,
निजिजल जज, जज नं० १०,
गोरखी।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश, महोदय,
गोरखी।

महोदय,

सादर निवेदन करना है कि आज दिनांक-

23-02-2010 को प्रातःकाल 11:25 को जज नं० 10, गोरखी

जोधनारी न्यायालय में न्यायाधीश न्यायाधीश न्यायाधीश के थे

तभी अधिवक्ता श्री वन्देरोवर गुला, ए. ए. ए. सि. जॉर्जिया, प्रमोद

शिवहरें एवं अन्य 10-12 अधिवक्ता-ए. ए. ए. न्यायाधीशों का प्रयोग

करते हुये, न्यायालय कम में हुआ जहाँ तथा वादगाहियों को भाग

दिया तथा न्यायालय कम में जालर जाली गोरखी जिले का बॉक्स

तॉ-फोरे दिया, जिनके न्यायिक कार्य सम्पादित नहीं किया जा

सकता।

अतः न्यायाधीशों के जज न्यूनता एवं वादग्रहण कार्य-

वाहने हेतु प्रार्थना है।

दिनांक-23-02-2010

KR
कृष्ण कुमार सिंह,
निजिजल जज नं० 10,
गोरखी।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट/अपर सत्र

न्यायाधीश, जॉर्सी ।

उपस्थित - श्री उमेश चन्द श्रीवास्तव, एच0जे0एस0

जमानत प्रार्थनापत्र सं0-236/2010

1-चन्द्रशेखर शुक्ला

सुरेश तैनी

प्रतिपाल सोनी-----यनाम-----सरकार

जमानत प्रार्थनापत्र सं0- 280/2010

राजेश खरे-----यनाम-----सरकार

जमानत प्रार्थनापत्र सं0-273/2010

प्रमोद शिवहरे-----यनाम-----सरकार

धारा- 147,148,149,352,440,332,307,308,353 / 34 भाद0 सं0

3/4 लो0 सम्पत्ति क्षति नियारण अधिनियम : : 7 कि0

जॉ एनेन्डमेंट एक्ट

थाना- नवावाद, जिला- जॉर्सी

अपराध सं0-85/2010

आदेश

उपरोक्त वर्णित तीनों जमानत प्रार्थनापत्र एक ही अपराध संख्या से संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ एक ही आदेश से किया जा रहा है तथा यह आदेश जमानत प्रार्थनापत्र सं0- 236/2010 में पारित किया जा रहा

मैंने जमानत प्रार्थनापत्र पर उनके अधिवक्तागण एवं राज्य की ओर से लोक अभियोजक के तर्क सुने हैं तथा अभिलेख का परिशीलन किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार दिनांक 23-2-2010 को पवार 11-15 वको पुलिस कंट्रोलरूप से प्राप्त सूचना के आधार पर श्री रामलखन, सरोज प्रभारी निरीक्षक, थाना- नवावाद, जिला जॉर्सी दीवानी न्यायालय परिसर जॉर्सी में अत्यंत तथ्य के अभाव में पुलिसकर्मियों का एक समूह जिसमें प्रार्थी/अभियुक्तगण सम्मिलित थे, परिसर के निरीक्षण के दौरान हाथ में गोली हंगामा करते हुए न्यायालय के पास में गया तथा न्यायालय के मुहरिर पर हमला कर दिया, न्यायालय के कुर्सियों, डायर का टैबल ग्लास तोड़ डाला तथा मृत्यु कारित करने के आशय से न्यायालय के कोर्ट मुहरिर श्री सन्तराम पर हमला किया। अधिवक्तागण के उगत समूह ने इस प्रकार एक राय होकर हंगामा कर तोड़फोड़ कर न्यायिक कार्य बाधित किया, तथा जान से मारने की धमकी दी जिससे न्यायालय परिसर में अफरातफरी मच गई तथा न्यायालय में

12A
1

कार्यरत न्यायालय कर्मी एवं शायकीस आगक कार्ड छोड़कर जाग मने के लिए
 विश्राम रुका में चले गए । उक्त घटना के दौरान घटनास्थल से अभियुक्तगण
 चन्द्रशेखर शुक्ला, सुरेश सीरी, प्रतिपालसोनी, राजेश, खरे को मौके से गिरफ्तार
 किया गया जब कि शेष भाग गए ।

श्री रामलखन सरोज की उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट में
 वर्णित व्यक्तियोंकेविरुद्ध भास-147, 148, 149, 352, 440, 332, 307, 308, 351 / 34 भाद 0 सं 0
 3/4 सं 0 न्यायाधीशों विद्यालय अर्थात् न्याय एवं न्यायिक तर्कों एग्रेगेशन एक्ट के
 अन्तर्गत अपराध पंजीकृत किया गया। यकी निम्नलिखित है ।

अभियुक्तगण विद्यालय का तर्क है कि घटना के
 संबंध में एक घण्टा के भीतर ही घटना घटी थी।
 तथा न्यायाधीश अधिष्ठाता के समक्ष जातिर भी समाप्त।
 अभियोग पंजीकृत होने के बाद इसी घटना के संबंध में प्रभारी निरीक्षक,
 धाना-नायाबाद को अभियोग पंजीकृत कराने का कोई अधिकार नहीं था ।
 अधिवक्ता का तर्क है कि प्रभारी निरीक्षक नयाबाद अरेस्टिंग अधिकारी है जिन्होंने
 मौके से चार अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया है। अतः ये घटना के वादी नहीं
 हो सकते । विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रभारी निरीक्षक ने अधिवक्तागण
 को परेशान करने के लिए उनके विरुद्ध उचित रिपोर्ट दर्ज कराई। विद्वान
 अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि प्रभारी निरीक्षक द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध
 नाम से रिपोर्ट पंजीकृत कराना रिपोर्ट की विश्वसनीयता को भंग करता है क्योंकि
 उनको अभियुक्तगण का भ्रम मालूम नहीं हो सकता था ।

अभियुक्तगण के विरुद्ध अधिवक्ता का तर्क है कि घटना के
 एक दिन पूर्व जिला न्यायाधीश के न्यायालय में कार्यरत एक अधिकारी एवं एक
 पुलिस कर्मी ने न्यायालय वरत अभिवक्ता प्रमोद कुमार को अपराध पंजीकृत
 के कारण उनसे अग्रद अपहरण किया था जिसकी जानकारी न्यायाधीश को
 के दिन अधिवक्तागण का समक्ष जा सं था कि उन्हें गैर संचालित दिखाना
 तथा इस बीच उक्त शमूह में कुछ असाभाविक तब घुस गए जिन्होंने न्यायालय
 वरत में घुस कर लंडफोड़ किया । न कि वर्तमान अभियुक्तगण ने ।
 विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में नानित कोई भी
 अभियुक्त या अन्य च.प्रता घटना के समय किसी घातक हथियार से सज्जित नहीं
 थे ताकि उनके विरुद्ध धारा-307, 308 भाद 0 सं 0 का मानला बन सके । विद्वान
 अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि घटना में किसी भी अभियुक्त का कोई
 विशिष्ट रोल नहीं दर्शाया गया है बल्कि सामान्य आरोप लगाये गए हैं । विद्वान

न्यायालय
 जिला एवं सत्र
 न्यायाधीश, झाँसी
 (उत्तर प्रदेश)

— राजेश कुमार श्रीवास्तव —

अधिवक्ता का कहना है कि अभियुक्तगण दिनांक 23-2-2010 से जेल में निरूद्ध हैं तथा उनके जेल में रहने के कारण उनके वादकारियों को काफी नुक्सान हो रहा है। साथ ही साथ उनके परिवार को भी कष्ट हो रहा है। अभियुक्त का यह भी तर्क है कि अभियुक्तगण कथित अपराध की गवाहों से अभिन्न दण्ड मुक्त चुनने अतः उन्हें जमानत पर मुक्त कर दिया जाये।

अभियुक्त प्रमोद शिवहरे के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यह दिनांक 24-2-2010 से 11-3-2010 तक सत्र उन्हें न्यायालय परिसर से गिरफ्तार किया गया लगातार विभिन्न न्यायालयों में कार्य करते रहे जो इस बात का सूचक है कि यह घटना में संलिप्त नहीं थे तथा उन्हें जानबूझकर झूठा फसागा गया है।

विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थनापत्र का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्तगण को भावनात्मक तर्कों पर नहीं बल्कि तथ्यात्मक तर्कों पर जमानत की माँग करनी चाहिए। लोक अभियोजक का तर्क है कि अभियुक्त प्रमोद शिवहरे को विलम्ब से गिरफ्तार करने के कारण वह जमानत का पत्र नहीं हो सकता। लोक अभियोजक का यह भी तर्क है कि कथित अपराध अधिवक्तागण के एक बड़े समूह जिसमें प्रार्थी/अभियुक्तगण सम्मिलित हैं द्वारा कारित किया गया। अतः प्रत्येक अभियुक्तगण को जमानत देना सही है कि उस का घटना में क्या रोल था। लोक अभियोजक का तर्क है कि विद्वान के दौरान विभिन्न न्यायालयों के जज एवं अधिकारियों एवं न्यायालय कर्मचारीगण से पूछा जा चुका है कि घटना सही ने अपने बयान में कथित घटना की पुष्टि करते हुए इस में अभियुक्तगण की संलिप्तता बतलाई है जिसके कारण अभियुक्तगण जमानत के पत्र नहीं हैं।

किसी अपराध की गम्भीरता का आंकलन उसकी प्रकृति के आधार पर नहीं बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि अपराध किस व्यक्ति द्वारा कारित किया गया है। एक पड़ोसिय और जिम्मेदार व्यक्तियों से एक अनपढ़ व्यक्ति की तुलना में अधिक अपेक्षित होती है। वर्णित घटना के अनुसार दिनांक 23-2-2010 को पूर्वाह्न 11-15 बजे तक न्यायिक अधिवक्ता की अदालत कार्य कर रही थी अधिवक्तागण के एक समूह ने जिसमें प्रार्थी/अभियुक्तगण भी सम्मिलित थे नारसिंजी करते हुए जिला न्यायाधीश के न्यायालय कक्ष में जाकर कोर्ट मुहरिर को मारापीटा तथा लिडकी दरवाजा तथा इनके कॉच को तोड़ा तथा हंगामा किया। तत्पश्चात न्यायालय कक्ष से लगे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के कक्ष में घुसकर टाइपराइटर, फैंस व टेलीफोन सैट तोड़ा तत्पश्चात उक्त समूह

प्रमोद शिवहरे

(162K 722)

पुसाई '16/3/2010
धर धर धर

8/49

वे ...
 किंग विपरा ...
 प्रसंग ...
 वे ...
 न्यायालय के ... एवं अन्य सामान को तोड़फोड़ कर नुकसान करने तथा
 अधिक कानों को नष्ट करने। अभियुक्तगणों जो पैरो से अधिकता है, के सन्धी

न्यायालय नद्यों में जिसमें वे -
 नित्त व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा में दलील देती है, पुरस्कार न्यायालय ...
 के साथ भारतीयकरण तथा न्यायालय नद्यों में (तोड़फोड़ कर ... पुहुना ...
 गरीर मामलों के निरवका नद्यों पर अभियुक्तगणों को कैपल ...
 जमानत पर मुक्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि जमानत प्रार्थनापत्र में वर्णित
 तथ्यों में ... 100 ... 200 ... के अन्दरत कोई गन्तवा नहीं
 हुए वे जमानत के पात्र नहीं हैं।

जमानत प्रार्थनापत्र तदनुरत अधिदत किया जाता है।

अन्त में एक एक पर जमानत प्रार्थनापत्र सं-260, ... 10 द

273/2010 के ...

...
 (लक्ष्मण चन्द्र श्रीवास्तव)
 निदेश न्यायाधीश एरारीएसटी एन
 अररसत्र न्यायाधीश, झोंसी।
 दि: 29-3-2010

68
 2/10
 ...



अधीन प्रतिलिपि
 प्रधान प्रतिलिपिक
 बिना दर सब न्यायालय, झोंसी

टॉप-10 अपराधी की सूची, थाना नवाबाद, जनापद झांसी

क्र.सं.	नाम व पता	अपराधिक इतिहास का विवरण		विचाराधीन आ की अवधि
		अ.सं.	घात	
1	नवाबाद सुन्दर सेखर गुण्डा पुत्र	531/91	3 यूपी गुण्डा एक्ट	
2	गुण्डा बिहारी मि.	581/91	3 यूपी गुण्डा एक्ट नवाबाद	
3	तहसील के पीछे, नवाबाद, झांसी	738/92	420/467/468/353 घातवि नवाबाद	
4		768/92	420,467,468,471,504 भा.द.वि.	
5		392/92	325,184,353 भा.द.वि. मठरानीपुर	
6		9/93	506 भा.द.वि. नवाबाद	
7		648/97	420,467,468,471 भा.द.वि.	
8		73/93	141,468,471 भा.द.वि.	
9		77/97	25 आर्म्स एक्ट बरुआ सागर	
10		186/98	188 आर्म्स एक्ट	
11		1813/99	387,504,506 भा.द.वि.	
12		1810/99	25 आर्म्स एक्ट	
13		1749/99	147,148,504,506 भा.द.वि.	
14		522/09	387 भा.द.वि. सीपरी बाजार	
15		237/99	353,504,506 भा.द.वि. कातवाली, महोबा	
16		20/2000	2/3 गैंग एक्ट	
17		81/2000	110 द.प.सं.	
18		769/02	147,148,149,307,504 भा.द.वि.	
19		288/05	323,504,506,288 भा.द.वि. सकरार	
20		869/06	147,342,364 भा.द.वि. 7 क्रि.ला. एक्ट	
21		1122/07	447,448,506 भा.द.वि. सीपरी बाजार	
22		746/07	323,504,506 भा.द.वि. नवाबाद	
23		1833/07	447,448,467,471,506 भा.द.वि.	
24		1834/07	447,448,467,471,506 भा.द.वि.	
25		1835/07	447,448,467,471,506 भा.द.वि.	
26		814/09	147,323,504,506,353 भा.द.वि.	
27		878/92	3 यूपी गुण्डा एक्ट	
28		84/10	147,148,149,352,440,323,332,307,30 8,353,341 भा.द.वि. 3/4 लोक सम्पत्ति अधि.	
29		85/10	147,148,149,352,440,323,332,307,30 8,353,341 भा.द.वि. 3/4 लोक सम्पत्ति अधि.	
30		86/10	147,148,149,352,440,323,332,307,30 8,353,341 भा.द.वि. 3/4 लोक सम्पत्ति अधि.	
31		189/10	2/3 गैंग एक्ट	
32		531/91	3 यूपी गुण्डा एक्ट	
33		581/91	3 यूपी गुण्डा एक्ट नवाबाद	
34		738/92	420/467/468/353 घातवि नवाबाद	
35		878/92	3 यूपी गुण्डा एक्ट नवाबाद	
36		67/97	25/30 ए एक्ट बरुआसागर	

271

274/82	332/358/504/506 भादवि थाना कोत0 महोबा	
23/84	386 भादवि व 10/12 सीआरपीसी	
39/84	386 भादवि व 10/12 सीआरपीसी	
415/88	25 ए एक्ट महोबा	
416/88	20 एनडीपीएस एक्ट महोबा	
731/79	323/504/506 भादवि महोबा	
एनसीआर		
30/89	279/337/338 भादवि हमीरपुर	
366/81	506 भादवि महोबा	
08/82	162/384/420 भादवि महोबा	
107/80	142/145/147/436/506 भादवि महोबा	
202/82	352/504/506 भादवि महोबा	
89/82	323/504/506 भादवि महोबा	
एनसीआर		
249/82	3 यूपी गुंडा कोत0 महोबा	
205/83	506 भादवि महोबा	
एनसीआर		
1811/99	25 ए एक्ट नवाबाद	
67से89/	25/27/30 ए एक्ट	
536/91	395/387 भादवि थाना न0प्र0	
341/79	323/504/506 भादवि महोबा	
एनसीआर		
5/93	506 भादवि महोबा	
81/2	110 सीआरपीसी	
48/16	376 डी 5,6 भादवि व 3(2) 5 एसीएसटी एक्ट महिला थाना झाँसी	

Court No. - 55

Case :- CONTEMPT APPLICATION (CRIMINAL) No. - 8 of 2010

Petitioner :- In Re:

Respondent :- Sri Chandra Shekhar Shukla And 6 Others

Petitioner Counsel :- Aga

Respondent Counsel :- Ajal Krishna, I.M.Khan, R.L.Shukla

Hon'ble Mrs. Poonam Srivastava, J.

Hon'ble Yogesh Chandra Gupta, J.

Heard Sri M.I.Khan, Sri Ajal Krishna and Sri Rajiv Prasad holding brief of Sri Rajeev Lochan Shukla on behalf of the respondents. **An affidavit has been preferred on 9.9.2010 by the opposite parties tendering unconditional apology as well as that they will not commit any act in future lowering the dignity and magistry of any Court.** Beside that it was brought to our notice that criminal proceedings have been drawn against the opposite parties and for a considerable period they remained in jail and now they are bailed out. In these circumstances, we accept the apology and discharge the contempt notice against the opposite parties.

The Contempt petition is disposed of accordingly. Record may be consigned.

Order Date :- 27.9.2010

Zh

क

विमल प्रकाश आर्य

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झाँसी ।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

सेवा में

1. श्रीमान अध्यक्ष

बार एसोशिएशन झाँसी ।

2. श्रीमान सचिव

बार एसोशिएशन झाँसी ।

विषय:-


जिला अधिवक्ता संघ झाँसी उ०प्र० के नाम से तथा कथित कुछ अधिवक्ताओं द्वारा मा० प्रशासनिक न्यायमूर्ति मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद उ०प्र० प्रयागराज को प्रेषित शिकायती प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न अधिवक्ताओं के हस्ताक्षरों के बावत उनकी पत्रावलियों का विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय

सादर अवगत कराना है कि जिला अधिवक्ता संघ झाँसी उ०प्र० के नाम से तथा कथित कुछ अधिवक्ताओं द्वारा मा० प्रशासनिक न्यायमूर्ति मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद उ०प्र० प्रयागराज को झूठी शिकायत प्रेषित की गयी है, जिनमें से अधिकांश अधिवक्तागण न तो मेरे न्यायालय में आते हैं, और न ही मैंने उनको अपने न्यायालय में कार्य करते हुए देखा है । उक्त शिकायती प्रार्थनापत्र के बावत मुझे अपना स्पष्टीकरण अविलम्ब प्रस्तुत करना है ।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त शिकायती प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न सूची में वर्णित समस्त विद्वान अधिवक्ताओं की मेरे न्यायालय में विचाराधीन पत्रावलियों के बावत विवरण दिनांक 26. 11. 2021 तक उपलब्ध करने की कृपा करें । साथ ही यह भी अवगत कराने का कष्ट करें कि क्या उक्त शिकायती प्रार्थनापत्र आपके द्वारा प्रेषित किया गया है ।

भवदीय


25.11.2021
(विमल प्रकाश आर्य)

दिनांक- 25. 11. 2021

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झाँसी ।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

सेवा में,

विमल प्रकाश आर्य

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F.T.C.) झाँसी।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)

महोदय,

आपके पत्र दिनांक 25.11.2021 के संदर्भ में आपको अवगत करा रहा हूँ कि मेरे द्वारा आपके विरुद्ध कोई शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। जिन अधिवक्ताओं की पत्रावलियां आपके न्यायालय में विचाराधीन है वह मेरे संज्ञान में नहीं है।

भवदीय



उदय राजपूत


अध्यक्ष

जिला अधिवक्ता संघ झाँसी।

उदय राजपूत एडवोकेट

अध्यक्ष

जिला अधिवक्ता संघ, झाँसी



छोटेलाल वर्मा

सचिव/महामंत्री

जिला अधिवक्ता संघ झाँसी।

छोटेलाल वर्मा

सचिव

जिला अधिवक्ता संघ, झाँसी

पं. चन्द्रशंखर शुक्ल
अधिवक्ता

सी०जे०एम० कोर्ट कम्पाउण्ड, झॉंसी (उ०प्र०)
कोड नं०-1289
पंजीयन संख्या-5739/89
फो० नं०-9415502219

T.C

न्यायालय श्रीमान जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदय झॉंसी

अन्तरण प्रार्थना पत्र नं०- 411 सन 2021

दारा सिंह पुत्र वृन्दावन सिंह आयु 30 वर्ष निवासी- ग्राम पुनावली कला थाना
रक्सा जिला झॉंसी।

बनाम

1- उत्तर प्रदेश सरकार
2- अमान पुत्र मुलू निवासी ग्राम पुनावलीकला रक्सा थाना रक्सा जिला झॉंसी
उ०प्र०।

Copy of Order dated 30/11/21

Called Out Applicant's counsel present.
Let copy of the application FA be sent
to the office of Court concerned for
eliciting his comments/report to sealed
महोदय।

Cover, for 30/11/21

यह अन्तरण प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

01- यह कि प्रार्थी उपरोक्त मुकदमें में अभियोजन साक्षी है और प्रार्थी का भाई
कल्याण सिंह वादी है।

02- यह कि पीठासीन अधिकारी श्री विमल प्रकाश आर्य ने प्रार्थी को दिनांक 08.
10.2021 को अपने चैम्बर में बुलाकर बोले कि तुम मुझे अच्छी तरह नहीं जानते
हो। मैं वादी और गवाहों को भी सजा कर देता हूँ तुम लोग दो लाख रुपये की
व्यवस्था करो नहीं तो जेल जाने को तैयार हो जाओ।

03- यह कि मैंने हाथ जोड़कर कहा मैं गरीब किसान हूँ मेरे पास रुपये नहीं
हैं "मैंने क्या गुनाह किया है" मैं तो गवाह हूँ तो मुझे मां बहिन की गालियां देने
लगे और बोले तू बड़ा गवाह बनता है, और तेरा वकील बहुत बड़ा नेता है, मैं तुझे
व तेरे नेता वकील को जेल में डलवा दूंगा। नहीं तो जमीन या मकान बेचकर
रुपये का इन्तजाम कर लो।

Copy of order forwarded to AS/PT-J.Jm.
for information & Necessary Action

and report by 30/11/21

यह कि इससे पहले उन्होंने मेरा गिरफ्तारी वारण्ट जारी कर दिया था।
जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी मैंने गिरफ्तारी वारण्ट वापस कराया मुझे देर
शाम तक बैठाये रखा और मुझसे कहा तुम अपने वकील के खिलाफ शिकायत
करो मैंने कहा साहब मेरे पास रुपया नहीं है और मैं गलत शिकायत नहीं करूंगा

By Order उन्होंने मुझे परेशान करने के लिए एक नोटिस भेज दिया जिसकी छायाप्रति

Sadar Munsiff रक्सा जिला झॉंसी में संलग्न है।

AS/PT-J.Jm.
30/11/21

1/19

दारा सिंह

8/49

.....2.....

05- यह कि जज साहब ने मुझसे यह भी कहा अब मैं रुपये लेकर अमान आदि को बरी कर दूंगा, और तुम्हें सजा कर दूंगा। मुझे श्री विमल प्रकाश आर्य से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है।

प्रार्थना

अतः महोदय से प्रार्थना है कि अपर सत्र न्यायाधीश एफ0टी0सी0- 2 पीठासीन अधिकारी विमल प्रकाश आर्य के न्यायालय से सत्र परीक्षण स0- 169/2017 धारा- 323, 307, 504 आई0पी0सी0 व अ0स0- 253/2016 थाना रक्सा सरकार बनाम अमान आदि को किसी अन्य न्यायालय में अन्तर्गत करने की कृपा करें। जिससे प्रार्थी को न्याय मिल सके।

दिनांक- 10.11.2021

प्रार्थी



दारा सिंह पुत्र बृन्दावन सिंह
निवासी- ग्राम पुनावली कला थाना
रक्सा जिला झॉसी।

40 चन्देश्वर शुक्ल
अधिवक्ता

न्यायालय श्रीमान जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदय झॉसी

अन्तरण प्रार्थना पत्र सं- 412 सन, 2021

जे०एम० कोर्ट कम्पाउण्ड, झॉसी (उ०प्र०)
कोड नं०-1289
पजीयन संख्या-5739/89
फोन नं०-9415502219

- 1- महेन्द्र कुमार वर्मा उर्फ रिकू पुत्र रमेश चन्द्र वर्मा उम्र 35 वर्ष निवासी- ओमशान्ति नगर, थाना कोतवाली झॉसी उ०प्र०।
- 2- डालचन्द्र वर्मा उर्फ डबू पुत्र श्री मेहरवान उम्र 45 वर्ष निवासी- महावीरनपुरा नगरा थाना प्रेमनगर जिला झॉसी।

बनाम

- 1- उत्तर प्रदेश सरकार
- 2- हरप्रसाद दमेलिया पुत्र स्व० श्री हल्केराम दमेलिया निवासी- 1289 जूनियर हाई स्कूल के पास खजूरबाग रोड नई वस्ती थाना कोतवाली जिला झॉसी उ०प्र०।

Copy of Order 20/11/21

Called Out. Counsel for the applicants present. Let copy of the complaint be sent to P.O of the Court concerned to elicit his comments/reports in

अन्तरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 408 द०प्र०स० सम्बन्धित थाना- नबाबाद जिला झॉसी।
नियत दिनांक- 12.11.2021

Sealed Cover.

Put upon solici for P.O. यह कि विद्वान पीठासीन अधिकारी, श्री विमल प्रकाश आर्य ने पूर्व नियत

sd/-

(S.J)

दिनांक 11.01.2021 को मुझे अपने चैम्बर में बुलाया और कहा कि मेरी पत्नी से मेरा झगड़ा चल रहा है वह मेरे साथ रहती नहीं है मैं परेशान रहता हूँ। इसलिए तुम मुझे आर्मी कैण्टीन से अच्छी क्वालिटी की शराब व एक सुन्दर कन्या की व्यवस्था करो। नहीं तो मैं तुम लोगो को किसी बहाने जेल भेज दूंगा और तुम्हारे जमानते निरस्त कर दूंगा। मैंने जब मना कर दिया तो उन्होंने मुझे परेशान किया पत्रावली को चैम्बर में रख लिया।



2- यह कि पीठासीन अधिकारी ने मुझसे यह भी कहा कि तुम अपना वकील

of order forwarded to...
formation & Necessary Action
report by 20/11/21.

बदल लो और जो मैं कहू वह पूरा कर दो मैं नहीं तो तुम लोगो को इस केस में सजा कर दूंगा।

3- यह कि पीठासीन अधिकारी ने मुझे यह भी धमकी दी है कि मैं बिना रूपया

लिये या बड़ी गिफ्ट लिये कोई काम नहीं करता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने जिन

By Order
Sadar Munsif
Sessions Judge
Jhansi (U.P.)

8/51 1/21

मे-उ एपक